भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3524
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में सड़क संपर्क योजना

3524. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएमजीएसवाई के तहत पृथक वर्टिकल (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों की पहचान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत सरकार आसपास के जिलों को भी सड़कें उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बनाई जाने वाली हैं और आसपास के जिलों का ब्यौरा क्या है जहां सड़कें बनाई जाने वाली हैं; और

(ङ) क्या उपरोक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को संशोधित सांकेतिक आवंटन को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) वर्ष 2016 में 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 44 जिलों और कुछ आस-पास के जिलों में सड़क संपर्कता में सुधार के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के दो उद्देश्य हैं- सुरक्षा बलों द्वारा सुचारू और निर्बाध

वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियान चलाना और क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों नामतः श्रीकाकुलम , पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू और काकीनाडा जिलों के लिए 1558 किमी लंबाई की कुल 194 सड़कें और 45 एलएसबी पुल स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से राज्य द्वारा 1,168 किमी लंबाई की 154 सड़कें और 29 एलएसबी पहले ही पूर्ण कर लिए गए हैं।

आरसीपीएलडब्ल्यूईए स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च , 2025 तक है और आंध्र प्रदेश राज्य में योजना के तहत मंजूरी के लिए किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ): वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत 150 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि आवंटित की गई है और 36.66 करोड़ रुपये (12-12-2024 की स्थिति के अनुसार) जारी किए गए हैं।

***